मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 2059

मद कमांक 1

राज्य विधान सभा परिसर के अनुरक्षण हेतु रूपये 35.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2-6

विभिन्न कार्यालयों में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि मद से वेतन भुगतान हेतु रूपये 110.42 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,10,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद कमांक 7

शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र दुर्ग के बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु रूपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4059

मद कमांक 8

राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रानिक वोटिग मशीनों के सुरक्षित रखरखाव हेतु गोदामों के निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि का करने का निर्णय लिया गया है ।इस पर इस वर्ष रूपये 121.86 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,21,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9

राज्य शासन द्वारा माननीय अध्यक्ष विधान सभा के आवास गृह में कार्यालय भवन के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है । इस पर रूपये 35.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 10

राज्य शासन द्वारा जिला प्रशासनिक कार्यालय परिसर दुर्ग में पुराने जर्जर भवन डिस्मेंटल कर नवीन भू-अभिलेख भवन कार्यालय एवं जामगांव में उप तहसील के कार्यालय भवन का निर्माण का निर्णय लिया है । इस पर इस वर्ष रू. 78.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 78,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 11

राज्य शासन द्वारा सनावल में विश्राम भवन के निर्माण का निर्णय लिया है । जिस पर इस वर्ष रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 12

राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय हेतु भवन के निर्माण पर इस वर्ष रूपये 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है तथा जिला न्यायालय भवन कवर्धा के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल बनाने हेतु 14.53 लाख का अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 15,14,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 13

उपभोक्ता फोरम भवन निर्माण हेतु भारत सरकार से रूपये 75.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है । इस हेतु वर्ष 2006-07 के बजट में रूपये 5.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है । शेष राशि रूपये 70.00 लाख का प्रावधान अपरीक्षित मद के रूप में किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद कमांक 14

राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालय भानुप्रतापपुर में हॉस्टल निर्माण का निर्णय लिया गया है । इस पर इस वर्ष रूपये 80.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 15

राज्य शासन द्वारा अधोसंरचना निर्माण कार्य के अंतर्गत फतेह मैंदान को स्टेडियम में विकसित करने का निर्णय लिया गया है । इस पर इस वर्ष रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद कमांक 16

राज्य शासन द्वारा रायपुर में लेप्रोसी होम एवं अस्पताल के जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया है । इस पर रूपये 22.44 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 22,,44,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 17

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरसीवा एवं भटगांव जिला रायपुर में 10 बिस्तर अस्पताल भवन हेतु रूपये 20.00 लाख एवं ग्राम सेतगंगा एवं मानिकचौरी जिला बिलासपुर एवं ग्राम मनियारी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु रूपये 19.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 39,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 18

ग्राम पिपरिया जिला कबीरधाम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 19

डा.बी.आर.अम्बेडकर चिकित्सालय में लीनियर एक्सीलेरेटर मशीन की स्थापना हेतु रूपये 80.21 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 80,21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4216

मद कमांक 20

राज्य शासन द्वारा गुण्डरदेही में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्टाफ आवास निर्माण का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत एफ टाइप 01 नग, एच टाइप 02 नग एवं आई टाइप 02 नग का निर्माण किया जाना है । इस पर रूपये 13.04 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 13,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 21

राज्य शासन द्वारा कवर्धा में न्यायाधीशों हेतु 01 नग सी, 02 नग डी एवं 01 नग एफ टाइप आवास एवं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में न्यायिक अधिकारियों के लिए एक नग सी, दो नग डी, एक नग ई एवं एक नग एफ टाईप आवास गृहों के निर्माण का निर्णय लिया गया है । इस पर रूपये 73.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 73,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4250

मद कमांक 22

आई.टी.आई. कोनी-बिलासपुर, कुरूद-धमतरी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किये जाने हेतु भवन निर्माण के लिये रूपये 80.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।